महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

" मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालन हेतु रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन"

मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालन हेतु स्वीकृत 02 नियमित पदों (सहायक ग्रेड 03 के 01 पद एवं भृत्य के 01 पद) पर नियुक्ति की जानी है। इस पद में नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक **18.02.2026** से दिनांक **06.03.2026** समय सायं **05:30** तक आवेदन आमंत्रित है। आवेदन का प्रारूप कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) के सूचना पटल तथा जिला गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही (छ0ग0) की वेबसाईट **www.https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in** पर प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 06.03.2026 शाम 05:30 बजे तक पता **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) पिन कोड़ 495119** में स्वीकार किये जायेंगे।

Amitsih

(अमित सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0)

पृ. क्र./1995/मबावि/स्था./2025–26 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 18 /02/2026

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) को जिले के वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु।
2. उप संचालक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) को समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

Amitsih

(अमित सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)

जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ.ग.)

E mail ID : wcd.gpm@gmail.com

–: सहायक ग्रेड 03 एवं भृत्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन :–

क्र./1993/मबावि/स्था0/2025–26 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 18/02/2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्र0/एफ 3–12/2024/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 15.01.2025 के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ0ग0 के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 18/02/2026 से दिनांक 06/03/2026 को सायं 05:30 तक केवल **रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम** से निर्धारित प्रारूप में तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) (अराजपत्रित) एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल
		UR	ST	SC	OBC	योग	
अ	सहायक ग्रेड 03	01	00	00	00	01	लेबल–04
ब	भृत्य	01	00	00	00	01	लेबल–01
योग		02	00	00	00	02	

विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी :–

1. यह विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियम के अध्याधीन होगी।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतरिम आदेश/निर्णय दिनांक 01.05.2023 के अध्याधीन होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा मान्य संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन, के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **(सहायक ग्रेड–03)**
7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20–4/2014 / आ.प्र.11–3/दिनांक 27.09.2014 की कंडिका– 8 के अनुसार केवल ऐसे निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रारूप में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ न्यूनतम है और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नही होगा।
9. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक की अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी, किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
10. विज्ञापन जारी होने की तिथि से समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नही होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।
11. आयु संबंधी प्रमाण पत्र हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वी/10वी की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. **आयु सीमा–** अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष हो । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्र./ एफ 3–2/2015/3 एक नया रायपुर दिनांक 17.12.2015 के तहत आयु सीमा हेतु जारी अन्य छूट भी लागू रहेगी एवं उक्त परिपत्र की कंडिका 03 अनुसार सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूची दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी–

- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमीलेयर का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक ही छूट दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थयी /वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से

अधिक न हो। स्पष्टीकरण छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- ऐसे अभ्यर्थी को जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–2/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हे आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 की छूट होगी।
- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05वर्ष की छूट होगी। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 28.06. 198 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 की छूट दी जाएगी।
- राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने ,वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. 650/209/2022 एफ–3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 की आयु की सीमा तक रहेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग

13. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
14. त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी। ऐसे आवेदन तत्काल अमान्य कर दिये जायेंगे।
15. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र– छत्तीसगढ़ शासन एव भारत सरकार के अधीन कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय आवेदक सीधे आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात् अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता है तो यह मान लिया जावेगा कि नियोजक को आपत्ति नही है। आवेदक विभाग को अनापत्ति हेतु प्रेषित अपने आवेदन में इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
16. नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) द्वारा की जावेगी।
17. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।
18. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी अथवा प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
19. राज्य शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड किया हुए व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
20. चयनित उम्मीद्वार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
21. चयनित उम्मीद्वार चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस अधीक्षक से कराया जायेगा और पुलिस अधीक्षक से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
22. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीद्वार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:–

    (अ) पुरुष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

    (ब) जो किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाफ्ता हो।
23. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

24. शैक्षणिक योग्यता –

पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
सहायक ग्रेड–03	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र । (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 (Key) की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) (4) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।
भृत्य	(1) मान्यंता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (8वीं की ग्रेडिंग अंकसूची के साथ प्राप्तांक एवं पूर्णांक के अंकतालिका की सत्यापित अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न किया जाये अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा)

25. चयन प्रक्रिया–

उम्मीद्वारों से प्राप्त आवेदनों के जाँच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीद्वारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीद्वारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन/जाँच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेजों का सत्यापन पश्चात् पात्र/अपात्र उम्मीद्वारों की प्राविधिक सूची तैयार किया जावेगा। उक्त विवरण जिले के अधिकारिक वेबसाईट https:// gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in/ के माध्यम से देखा जा सकता है।

1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
2. शासकीय विभाग में पदानुरूप समकक्ष अनुभव होने पर मान्य किया जावेगा संबंधित विभाग से अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक वर्ष पश्चात् प्रत्येक वर्ष में 02 अंक दिया जावेगा अधिकतम 10 अंक अनुभव के लिए निर्धारित किया गया है।
3. समिति द्वारा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिये जायेंगे जो 15 अंक का होगा एवं स्किल टेस्ट 15 अंक निर्धारित है।

यदि दो उम्मीद्वार का अंक समान हो तब कौशल परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। यदि शैक्षणिक योग्यता का अंक तथा कौशल परीक्षा का अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिस उम्मीद्वार की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक, अनुभव का अंक, दक्षता/कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार का प्राप्त अंक को जोड़कर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसी के आधार पर उम्मीद्वारों का चयन किया जावेगा।

26. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी
27. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वहन का अधिकार कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0) का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
28. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलाया जावेगा।
29. आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

(अमित सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0)

पृ. क्र./1994/मबावि/स्था./2025–26 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 18/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर विज्ञापन की एक प्रति जिले की वेबसाईट **www. https://gaurela-pendra-marwahi. cg.gov.in** में तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
5. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर सूचनार्थ।
6. जिला जनसंपर्क विभाग, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

(अमित सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ0ग0)

महिला एवं बाल विकास विभाग

सहायक ग्रेड 3,एवं भृत्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

01. आवेदित पद का नाम :– ....

02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी में) :– ....

03. पिता / पति का नाम :– ....

04. जन्मतिथि (अंको में) :– ....

(शब्दों में) :– ....

दिनांक 01.01.2026 को आयु :– वर्ष................................माह.......................दिन.................

05. लिंग (पुरूष / महिला) :– ....

06. शैक्षिणक एवं तकनीकी योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

07. पत्र व्यवहार का पता :– ....

....

08. स्थायी पता :– ....

....

09. दूरभाष / मोबाईल.. ई मेल आईडी ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन ....

क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ....

महिला एवं बाल विकास विभाग

11. जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) जाति.............................. वर्ग ....

12. क्या आप शासन द्वारा मान्यता अजा / अजजा / अपिव के ....
के सदस्य है? यदि हां तो वर्ग लिखें एवं सक्षम अधिकारी ....
द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? ....
(यदि हां तो वर्ग लिखें एवं सक्षम अधिकारी ....
द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें))

14. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए
अ. सेना का नाम, जिसमें कार्य किया गया है ....
ब. कार्य की अवधि दिनांक..............................से ....तक कुल अवधि ....

15. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :– ....
(नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

16. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यत्ता :– ....

17. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
....

18. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

19. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

6 .... 6. ....

7 .... 8 ....

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

आवेदक के नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी/असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– ....   आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :– ....

––– 000 –––